...सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
मीरो देवी पत्नी धर्माराम जाति जाट, निवासी बुढा तला भीयाड़ तहसील शिव , जिला बाड़मेर		उदाराम पुत्र धीराराम जाति जाट, निवासी बुढा तला भीयाड तहसील शिव , जिला बाड़मेर वगैरा (37)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 53,188) मुकदमा नम्बर 163 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.11.2022	प्रार्थी / वादी / अपीलाण्ट के वकील **श्री बालाराम गोदारा** ने यह प्रार्थना पंत्र / वाद / अपील धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 21/12/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
21.12.22	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 07.04.23 को पेश हो।	
07.4.23	राजकीय अवकाश होने से इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29.5.23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
29.05.23	पत्रावली पेश हुई। वादी अधि. उप./ ... पत्रावली वास्ते वादी अधिवक्ता ... तामिली हेतु आदेश ... पेश हो सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
13.10.23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 22.3.24 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:47:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। अधिवक्ता नरेन्द्रसिंह खिलाडा द्वारा प्रतिवादी संख्या 21 की ओर से वकालतनामा पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि पत्रावली पूर्व दिनांक से लेकर आदिनांक तक तामिली की स्टेज पर है तथा तामिली नहीं करवाई गई है। अतः वादी वकील को जरिये रजि० एडी से प्रतिवादीगण की तामिली हेतु 500/- रुपये के कोस्ट पर अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 09.6.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

09.06.25

पत्रावली पेश। वाकुलम अनुपस्थित। चूंकि उक्त पत्रावली में प्रतिवादीगण की तामिली हेतु पूर्व में कोस्ट पर अंतिम अवसर दिये जाने के बावजूद प्रतिवादीगण की तामिली करवाने में वादी वकील असफल रहे हैं। अतः पत्रावली में तामिली नहीं होने से अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं होने पर पत्रावली इतने [illegible] तामिली के अभाव में [illegible] है [illegible] होकर पत्रावली नम्बर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:47:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner